दां.प्रकी.(जमा.) 4478/2004

09.12.2004

माननीय न यायाधिपति श्री कृष णकुमार

प्रार्थी के अधिवक ता श्री राकेश अरोड़ा,
जन अभियोजक श्री अशोक उपाध्याय, उपस्थित।

योग्य अभिभाषक अभियुक्त-प्रार्थी का तर्क है कि मुख्य अभियुक्त ओमजी उर्फ प्रकाश की जमानत इस न्यायालय द्वारा ली जा चुकी है, इस अभियुक्त के विरूद्ध बलात्कार का कोई आरोप नहीं है। इसके विरूद्ध मात्र यही आरोप है कि इसके मकान में दो माह तक अभियुक्त प्रकाश ने मु0 अंजना को रखा। अत: अभियुक्त-प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने की इस्तदुआ की गई।

योग्य जन अभियोजक ने प्रार्थना-पत्र पर एतराज किया।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया। चूंकि मुख्य अभियुक्त ओमजी उर्फ प्रकाश की जमानत इस न्यायालय द्वारा ली जा चुकी है, इस अभियुक्त के विरूद्ध बलात्कार का आरोप नहीं है और मात्र अभियुक्त प्रकाश ने मु0 अंजना को इसके मकान में दो माह तक रखा, आरोप लगाया गया है, जो धारा 368 भा.दं.सं. के आरोप की परिधि में आता है। प्रकरण में आई परिस्थितियों को देखते हुए, बिना गुणावगुण पर राय दिए, अभियुक्त-प्रार्थी को मैं जमानत पर रिहा करने के उचित आधार पाता हूं।

अत: यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी नारजी पुत्र नागजी योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जावे, उपस्थिति हेतु, बीस हजार रूपए का बन्ध-पत्र एवं दस-दस हजार रूपए की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(न यायाधिपतिकृष णकुमार)